क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	21/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रकार उप. । अपार्थीगण का जवाब पेश हो चुका है। प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस उभयपक्षों की सुना गया। उभयपक्षों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाते हैं कि प्रार्थी ने यह प्रा. पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा के साथ पेश किया गया है। प्रार्थी की भूमि 839, 840, 841, 842, 843, 844/1438 ग्राम माधोसिंहपुरा के पड़ोस में अपार्थीगण की भूमि स्थित है। भूमि ख. नं. 839, 840, 841, 842, 843, 844/1438 की सीमा पर विवाद है। प्रार्थीगण एवं अपार्थीगणों ने, ही अपनी भूमि की सीमाज्ञान हेतु तह. न्यायालय को आवेदन करे। तह. तहसीलदार के न्यायालय उपर्युक्त आवेदन के अनुसार 30 दिवस में भू-राजस्व अधिनियम की धारा 111 के प्रावधानों के अनुरूप सीमाज्ञान करे। उपरान्त जो सीमा सीमाज्ञान के अपार्थीगणों की भूमि के मध्य

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		तय की जाये जावे उस पर उभयपक्ष तहसीलवाद पाबंद रहेंगे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार व तह. न्यायालय को जारी हो। पत्रावली पेशल शुमार होकर दर्ज नम्बर पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, पावटा	